न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 53/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

Bandhan Bank Ltd. (Formerly Known As Gruh Finance Ltd.), Ground Floor, Plot No. 189A, Ram Galli Road No. 1, Near Panchwati Circle, Raja Park, Jaipur, Rajasthan-302004 जरिये प्राधिकृत अधिकारी **Kartik Sonkhiya**

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **हितेश शर्मा पुत्र प्रेम प्रकाश शर्मा**
   प्रथम पता:– नवज्योती स्कूल के पास, वार्ड नं. 37, अनानी कोठी, राधाकिशनपुरा, सीकर, राज. 332001
   द्वितीय पता:– प्लॉट नं. 16 (पूर्वी भाग), अलोटमेंट नं. 3386, मौहल्ला चिड़िया टीबा, राधाकिशनपुरा, सीकर, राज. 332001
2. **प्रतीभा शर्मा पत्नि हितेश शर्मा**
   प्रथम पता:– 658, चिड़िया टीबा, वार्ड नं. 38, भारत माता सेकेण्डरी स्कूल के सामने, सीकर, राज. 332001
   द्वितीय पता:– प्लॉट नं. 16 (पूर्वी भाग), अलोटमेंट नं. 3386, मौहल्ला चिड़िया टीबा, राधाकिशनपुरा, सीकर, राज. 332001

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक:– 27 अप्रेल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री हरीश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **हितेश शर्मा पुत्र प्रेम प्रकाश शर्मा** एवं **प्रतीभा शर्मा पत्नि हितेश शर्मा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **प्लॉट नं. 16 (पूर्वी भाग), अलोटमेंट नं. 3386, मौहल्ला चिड़िया टीबा, राधाकिशनपुरा, सीकर, राज. 332001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 52.83 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में प्लॉट नं. 3, पश्चिम दिशा में प्लॉट नं. 16 का शेष भाग/पिंकी कंवर, उत्तर दिशा में रास्ता एवं दक्षिण दिशा में प्लॉट नं. 15 स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹10,50,000/– (अक्षरे रूपये दस लाख पचास हजार)** की ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **31.01.2025** के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **31.01.2025 का** धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **हितेश शर्मा पुत्र प्रेम प्रकाश शर्मा** एवं **प्रतीभा**

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

शर्मा पत्नि हितेश शर्मा की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **प्लॉट नं. 16 (पूर्वी भाग), अलोटमेंट नं. 3386, मौहल्ला चिड़िया टीबा, राधाकिशनपुरा, सीकर, राज. 332001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 52.83 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में प्लॉट नं. 3, पश्चिम दिशा में प्लॉट नं. 16 का शेष भाग/पिंकी कंवर, उत्तर दिशा में रास्ता एवं दक्षिण दिशा में प्लॉट नं. 15 स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **27 अप्रेल, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर